न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(83)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–रायसेन

निगरानी 2358-PBR-15

श्री ... को द्वारा आज दि. 23.7.15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुष्पाबाई विधवा श्री रघुवीर प्रसाद निवासी– थाने के पीछे, नई कालौनी गैररतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

––आवेदिका

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन

–– अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदिका विधवा बेसहारा एवं गरीब मजूदर महिला है उसका एक कच्चा मकान गैरतगंज में स्थित है। जो गिर रहा है और उसने उसकी मरम्मत हेतु ईटो से मकान बनाना शुरू किया तो पटवारी ने मौके पर निरीक्षण न कर घर बैठे आवेदिका के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार गैरतगंज के समक्ष कर दीं। जिसमें कानूनी प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया है।
2. यहकि, अवैध एवं विधि विरूद्ध पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गैरतगंज द्वारा आवेदिका के विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने प्रकरण की कार्यवाही में कानूनी कार्यवाहीयों का उल्लघंन करते हुये आवेदिका के विरूद्ध आदेश पारित करने का निश्चय कर लिया था। तद्नुसार ही उन्होने प्रकरण की कार्यवाही कानूनी प्रावधानों को एक तरफ करते हुये कर दीं है।
3. यहकि, पटवारी को न्यायालीन कथनों के लिये आहूत नहीं किया गया एवं आवेदिका को बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया और आवेदिका के विरूद्ध अधिपत्य च्युत करने का आदेश दिनांक 28.06.2014 को पारित कर दिया गया।
4. यहकि, तहसीलदार गैरतगंज के आदेश के विरूद्ध आवेदिका के द्वारा प्रथम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2358-पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	